9

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
88/2025	18.7.2025	07-1-2026

पदम पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. हरकेश पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. राजकुमारी पुत्री गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सियाराम मीना, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री गजेन्द्र सैनी, एड. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 150/48 रकबा 0.10 है0, ख0न0 151/49 रकबा 0.23 है0 ग्राम बाढखुर्द मे स्थित है। इसमे वादी का 1/3 हिस्स, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4—1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा है। पक्षकारान भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर भूमि से लाभन्वित होते चले आ रहे है। पिछले कुछ समय से भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करने मे पक्षकारान मे विवाद होने लगे गया। कारण पूछने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि अब वे संयुक्त रूप से काश्त नही कर सकते है, सम्पूर्ण भूमि को हम ही काश्त करेगें, वादी को ाकश्त नही करने देगें। वादी ने दिनांक 17.6.2023 को प्रतिवादीगण को तहसील चल कर भूमि का विभाजन करवा लेने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने साथ मे चलने से मना कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 150/48 रकबा 0.10 है0, ख0न0 151/49 रकबा 0.23 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पृथक किया जाकर रिकार्ड मे दर्ज वादी को हिस्सा 1/3 का खाता पृथक से कामय किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 बाबजूद सूचना हाजिर [illegible] नही हुए है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा [illegible] की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने [illegible] संवत 2072—2075 ग्राम बाढखुर्द प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 3 ने जबाब दावा प्रस्तुत नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

६

प्रकरण मे वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर 25.8.2025 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5335 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. पदम पुत्र गिर्राज, हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. बाढकलॉ खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 150/48/1 रकबा 0.0330 है0, ख0न0 151/49/1 रकबा 0.0770 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 ग्राम बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

2. राजकुमारी पुत्री गिर्राज हि0 1/4 जाति बैरवा सा. बाढकलॉ खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 150/48/2 रकबा 0.067 है0, ख0न0 151/49/2 रकबा 0.153 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 ग्राम बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगीं।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत - उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

पदम पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. हरकेश पुत्र गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. राजकुमारी पुत्री गिर्राज, बैरवा निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 88/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सियाराम मीना, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री गजेन्द्र सैनी, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉं से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. पदम पुत्र गिर्राज, हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. बाढकलॉ खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 150/48/1 रकबा 0.0330 है0, ख0न0 151/49/1 रकबा 0.0770 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 ग्राम बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
2. राजकुमारी पुत्री गिर्राज हि0 1/4 जाति बैरवा सा. बाढकलॉ खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 150/48/2 रकबा 0.067 है0, ख0न0 151/49/2 रकबा 0.153 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 ग्राम बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगीं।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान [illegible] राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती [illegible]। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का [illegible] रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-1-26 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:36:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते